

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या — — — — —
पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री — — — — —
(पदनाम) — — — — — विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत
मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास
अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अथवा

निम्नलिखित कारणों से स्थल निरीक्षण/सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, अतः पूर्णता प्रमाण पत्र
वास्तुविद्/अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है:-

1.
2.

हस्ताक्षर— — — — —
पदनाम — — — — —
कार्यालय की मुहर — — — — —
दिनांक — — — — —